न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 07/15 **निर्णय दिनांकः–** 23-10-17

1. पप्पुसिंह पुत्र मेहताब सिंह जाति राजपूत निवासी बांगड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. शारदा पत्नी श्रवणकुमार जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08–12–2014
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 08–12–2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट के पास की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय)नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 95/23 में 15 बीघा, मुरब्बा न म्बर 95/31 में 2 बीधा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है, तथा तमाम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिकार्ड अपीलांट के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट की उपरोक्त भूमि के पास ही चक 1 सीडीवाई में मुरब्बा नम्बर 95/45 में किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि अराजीराज है। जिसे अपीलांट मिडियम पेच आवंटन कराना चाहता है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा पटवारी रिपोर्ट मांगी गई। जिसके अनुसार आराजी जैर मिडियम पेच आवंटन श्रेणी का नहीं है तथा उक्त रकबा मुहरबन्द निलामी में प्रस्तावित है।

अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 95/45 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच में आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा किला नम्बर 19 ता 22 तादादी 4 बीघा गैर मुमकिन नाडिया भूमि दर्शाते हुए शेष किला नम्बर 1 ता 15 अराजीराज दर्शाते हुए रिपोर्ट कर दी गई, जिसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपरोक्त भूमि मिडियम पेच में आवंटित कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये व अन्य सह काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट को मनमाने ढंग से मिडियम पेच में आवंटन कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

आराजी जैर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आस–पास के काश्तकारों को नोटिस जारी करना बताया गया है जिस पर जिस पर रिपोर्ट की गई कि नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किये गये, जो तामिली प्रकिया के विरूद्व है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि उनके द्वारा चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 95/45 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच में आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा मिडियम पेच आवंटन हेतु आवंटन प्रस्ताव बनाया जाकर मिडियम पेच आवंटन हेतु आवश्यक सभी काश्तकारों की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाई गई व उक्त रकबे बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार बरजूदेवी वगैरा, माधोसिंह, कुलदीपसिंह, दशर्नसिंह व अपीलांट को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए अंकित किया कि उन्त कृषकों के अन्य की भूमि पटवार मण्डल में नहीं है। जिसके आधार पर सभी काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। जिस पर बरजूदेवी वगैरा ने अपीलांट के पक्ष में आवंटन हेतु सहमति व्यक्त की गई एवं शेष काश्तकारो को नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किये गये होना अंकित है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन नियमों व प्रकिया का पूर्ण पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना साबित है। अपीलांट की उक्त मुरब्बे में कोई भूमि नहीं होना पटवारी रिपोर्ट से साबित है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 95/45 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि मिडियम पेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन को आवंटित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत आवंटन प्रस्ताव व तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार उक्त "रकबा विवादित नहीं होना व स्थगन आदेश नहीं है का नोट अंकित है।" आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा पटवारी रिपोट के आधार पर सभी संबंधित

काश्तकारों की वरीयता कायम करते हुए नोटिस जारी किया जाना पत्रावली के अवलोकन से साबित है। जिसके आधार पर अपीलांट का नाम उक्त मुरब्बे के काश्तकारों की सूची में शामिल नहीं पाया जाता है।

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि आराजी जैर व उसके चिपते मुरब्बें में बरजूदेवी वगैरा, माधोसिंह, कुलदीपसिंह, दशर्नसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आदि कृषकों की भूमि दर्शाते हुए वरीयता निर्धारित की गई है, व सभी को नोटिस जारी किये गये। जिस पर बरजूदेवी ने अपीलांट के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त की गई तथा शेष काश्तकारों के नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया जाना अंकित है।

(स) जहॉ तक अपीलांट को आवंटन से पूर्व नोटिस जारी किये जाने का प्रश्न है, रिपोर्ट पटवारी हल्का बांगड़सर के अनुसार अपीलांट की भूमि उक्त मुरब्बे में होना नहीं पाई जाती है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी करते हुए, वरीयता के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 के तहत किया जाना साबित है।

(द) अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी सनद् प्राप्त की जा चुकी है। लिहाजा यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या अ से द में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 08–12–2015 बहाल किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 23-10-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर